अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकद्दमा विविध प्रा.पत्र नं. 17 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रा.पत्र 144 CPC स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी की यथावत स्थिति कायम करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने एतराज जाहिर कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात मे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ मे पारित निर्णय के विरुद्ध मान. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसमे प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी जा चुकी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मे प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति मे अपील ग्रहण कर दर्ज रजिस्टर कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये जा चुके है। जिससे न्यायालय आप मे प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती है।	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया चूंकि प्रा.पत्र 144 CPC के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण मे वर्णित भूखंड के खातेदारो की पूर्ववत स्थिति को रिकार्ड मे कायम किया जावे आदि। इस क्रम मे हमने विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किया प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा निर्णय दिनांक 15/07/15 प्र.सं. 64/2011 की अपील माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ प्र.सं. 122/15 नि.दि. 08/12/21 की गई एवं उक्त नि.दि. 08/12/21 की अपील मान. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे क्रमांक TA/अपील/2022/1008 चित्तौडगढ जेरकार है। जिसमे दिनांक 02/11/23 नियत थी प्रकरण से सम्बन्धित मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार की पत्रावली का माननीय न्यायालय राज. मण्डल द्वारा तलब किया हुआ है

अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णयो एव तलबी रो की प्रतिया प्रस्तुत की है।

उक्त प्रतियो के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि प्रकरण वर्णित भूमि जो पूर्व वर्णित निर्णयो से प्रभावित है के सम्बन्ध मे द्वितिय अपील माननीय राजस्व मण्डल मे जेरकार है। ऐसी सूरत मे पूर्व निर्णयो की पालना की जाना या भूमि की पूर्व स्थिति कायम किया जाना विधि के सुसंगत प्रावधानो के अनुसरण मे उचीत नही पाया जाता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विवेचन मनन उपरान्त यह प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC को खारीज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील, तकमील व तरमीम फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय मे सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)